

RRNo. 955
7-12-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ. 2(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक 12 NOV 2011

--- आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.9.2011 के क्रमांक 1 व 2 तथा आदेश दिनांक 29.9.2011 तथा आदेश दिनांक 1.11.2011 के क्रमांक 4 पर अंकित निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम व पद	वरियता संख्या	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	श्री पी. आर. शर्मा उप निदेशक, कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग जयपुर।	9/2004	एम-14, गाँधीनगर	31.7.2021
2.	श्री ओ. पी. मीणा लेखाधिकारी, सिचाई भवन, जायका प्रोजेक्ट, जेएलएन मार्ग, जयपुर।	13/2006	एन-26, गाँधीनगर	1.7.2023
3.	श्री अनिल कुमार अग्रवाल आर.ए.एस. राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर।	51/2003	एन-9, गाँधीनगर जयपुर	30.9.2028
4.	सुश्री कीर्ति जैन, मुख्य लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर।	41/2011	5/6, हीराबाग, जयपुर	31.10.2027

Old (web.)
A
7-12-2011

आज्ञा से

— sd —

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
6. आयुक्त उद्योग विभाग,
7. शासन उप सचिव, जीएफएण्ड आर वित्त विभाग जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता सिचाई विभाग, सिचाई भवन, जायका प्रोजेक्ट, जे.एन.एल.मार्ग, जयपुर।
9. शासन उप सचिव, कार्मिक (क 4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संयुक्त निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि० गाँधीनगर/हीराबाग, जयपुर।
13. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
14. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गाँधीनगर/हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
15. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16. संबंधित अधिकारीगण।
17. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.प्र.वि.।
18. निजी सहायक, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
19. रक्षित पत्रावली।

Li